अन्तिम तिथि 11.8.2017 304

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक :— ओ.एस.डी./नविवि/17/505 दिनांक :— 17/7/2017

—: अवार्ड :—

विषय :— केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर में कुल रकबा 104—02 बीघा (16.86 हैक्टेयर) का अवार्ड जारी करने बाबत।

संदर्भ :— अधिसूचना क्रमांक प.7(85)नविवि/3/2005 जयपुर दिनांक 26.02.2013

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर में कुल रकबा 104—02 बीघा (16.86 हैक्टेयर) के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.02.2013 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना का दिनांक 06.03.2013 को राजस्थान राज—पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" जोधपुर संस्करण व "राजस्थान पत्रिका" अजमेर संस्करण में दिनांक 03.07.2013 को सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार—प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 30.09.2013 सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाए गये जिनकी अन्तिम तामीली की दिनांक 18.10.2013 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अंतिम प्रकाशन की तिथि 18.10.2013 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में धारा 4(1) के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य सरकार को धारा 5ए के तहत् मौका रिपोर्ट दिनांक 27.08.2014 को प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 104—02 बीघा की धारा 6 की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 को कुल रकबा 104—02 बीघा जारी की गयी थी। अधिसूचना का राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 13.11.2014 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर' व "राजस्थान पत्रिका" जोधपुर संस्करण में दिनांक 15.01.2015 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 29.07.2015 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसके अनुसार अन्तिम तामीली की दिनांक 12.08.2014 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस दिनांक 02.05.2016 एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 27.06.2016 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.2005 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में किसी भी खातेदार द्वारा विकसित भूखण्ड का विकल्प नही दिया गया। अतः नकद मुआजवे का निर्धारण किया जा रहा है।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

3051

धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर में कुल रकबा 104–02 बीघा में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा बीघा में	किस्म
1.	गबरू पिता गंगाराम कौम भांबी हि. 1/2 जगदेव, भोजराज, अशोक, लालराम पिता खियाराम, अशोक, लालराम, ना.बा. व बिलायत माता छोटूडी हुक्माराम पिता रूपाराम कौम रैगर हि. 1/4 विजेन्द्र पिता मिश्री लाल हि. 1/8 भगवती प्रसाद कृष्ण कुमार पिता मिश्री लाल कौम रैगर हि. 1/8	38	104–02 बीघा	बारानी III

प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र व राजस्थान आवासन द्वारा प्रेषित राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त खसरे में प्रार्थियों का नाम संशोधन कर अधिसूचना में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। अवाप्ताधीन भूमि का संशोधित विवरण निम्न प्रकार से है :–

ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर

क्र. सं.	खातेदार का नाम	गत खसरा नं.	गत रकबा बीघा में	वर्तमान खसरा नं.	वर्तमान रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1.	रामनिवास, गणपतराम, श्यामलाल पिता रामपाल कौम मेघवाल हि. 1/2, विजेन्द्र कुमार पुत्र मिश्रीलाल हि. 1/8, भगवती प्रसाद कृष्ण कुमार पिता मिश्री लाल हि. 1/8 कौम रेगर सा. मेड़ता शहर, जगदेव, भोजराज, अशोक, लालाराम पिता खियाराम, छोटूडी स्व. धर्मपत्नि खियाराम, अशोक, लालाराम ना.बा. बली माता छोटूडी, सुण्डाराम पुत्र भागुराम कौम मेघवाल हि. 1/4 सा. देह खातेदार।	38	104–02 बीघा	47 48 49 50 51 52 53 54	2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 1.62 2.34	बारानी III

प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस एवं खातेदारों को व्यक्तिगत नोटिस धारा 9(3) के जारी किये जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित खसरो के अन्तर्गत हितधारियो ने आपत्तियां प्रस्तुत कियां। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(1) – खसरा नं. 38 रकवा 104–02 बीघा रामनिवास, गणपतराम, श्यामलाल ने निवेदन किया है कि हमारी जमीन का 1/2 हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर आई हुई है। आस–पास कॉलोनीयां बसी हुई है। जिसका नगरपालिका द्वारा विकास भी करवाया हुआ है। वर्तमान में 700 रूपये फीट

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(307)

की दर से बीक रही है। प्रार्थी अनुसुचित जाति के गरीब व्यक्ति है। जिनकी अवाप्ती गलत की जा रही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थियों को समुचित मुआवजा दिलवाया जावें।

प्रकरण में दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थीयों ने अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये। नियमानुसार प्रार्थियों को समुचित मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार ही देय है।

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 26.02.2013 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरें की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व तकमीना मंगवाने हेतु आवासीय अभियन्ता को दिनांक 23.01.2014 को सूचित किया गया। जिसके जवाब में आवासीय अभियन्ता ने डी.एल.सी. दर, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस प्रेषित किया। इस के उपरान्त अवार्ड निर्धारण बाबत् राज्य में लागू नवीन अधिनियम की धारा 23 के तहत् किये जाने हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 26.02.2013 से पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में अवाप्ताधीन भूमि की समकक्ष भूमि के लिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेखों के आधार पर औसत विक्रय मूल्य क्या रहा था योजना नगर नगरपालिका में अवस्थित है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है मय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की सूचना आवासीय अभियन्ता से पत्र दिनांक 09.05.2016, 08.11.2016, 24.11.2016, 17.01.2017, 08.03.2017, 04.05.2017, 18.05.2017 व उप पंजीयक मेड़तासिटी को पत्र दिनांक 08.11.2016. 24.11.2016, 17.01.2017, 08.03.2017, 04.05.2017 के द्वारा चाही गई। जिसके प्रत्युत्तर में आवासीय अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 10.05.2016 के द्वारा तकमीना, सर्वे रिपोर्ट, जमाबन्दी, के प्रमाणित प्रति प्रेषित की तथा दिनांक 30.06..2017 से नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने बाबत् सूचित किया तथा उप पंजियक मेड़तासिटी का पत्र दिनांक 16.05.2017 से डी.एल.सी. दरें संलग्न की है।

उप पंजीयक मेड़तासिटी से प्राप्त डी.एल.सी. दरे (औसत विक्रय मूल्य वर्ष 2010, 2011, 2012) निम्न प्रकार से है।

पंजीबद्व दस्तावेजों के अनुसार जो कि (डी.एल.सी. दरो के अनुसार) न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिफल राशी प्रति बीघा

<u>ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर</u>

क्र. सं.	वर्ष	कृषि भूमि की दर प्रति बीघा में 0 से 02 किमी तक	
		असिंचित	सिंचित
1.	2010	97,200	99,900
2.	2011	1,11,780	1,14,886
3.	2012	1,22,958	1,26,375

संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2013 की डी.एल.सी. (कृषि) दरे उप पंजीयक मेड़तासिंटी के अनुसार निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	वर्ष	कृषि भूमि की दर प्रति बीघा में 0 से 02 किमी तक	
		असिंचित	सिंचित
1.	2013	1,35,000	1,40,000

दर का निर्धारण :— अधिसूचना में खातेदारो की भूमि में तीन वर्षो के पंजीबद्व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया अर्थात डी.एल.सी. के न्यूनतम/अधिकतम दरों का भी अवलोकन किया गया जो कि सम्बन्धित वर्ष की डी.एल.सी. दरो से कम होने के कारण मुआवजा निर्धारण का आधार सम्बन्धित वर्ष 2013 को प्रचलित डी.एल.सी. ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर में डीएलसी दर 0 से 2 किमी तक असिंचित भूमि की दर 1,35,000 रूपये व 0 से 2 किमी तक सिंचित भूमि की दर 1,40,000 रूपये प्रति बीघा बनती है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्षो का औसत विक्रय मूल्य ओर धारा 4(1) के समय प्रचलित डी.एल.सी. दर में जो अधिक होगा मुआवजा स्वरूप वह देय होगा। अतः मेरी राय में अवाप्ताधीन सम्पूर्ण कृषि भूमि बंजड़ श्रेणी की होने के कारण अधिकतम 1,35,00 रूपये दिया जाना उचित समझता हूँ। आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू—अर्जन अधिनियम की धारा 26 में वर्णित दिग्दर्शकों के अनुसरण में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जायेगा। अतः ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर की समस्त अवाप्ताधीन कृषि भूमि की दर 1,35,000/— रूपये प्रति बीघा की दर (6750 रूपये प्रति बिस्वा) निर्धारण करना उचित समझता हूं।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड नागौर ने अपने पत्रांक 991 दिनांक 30.06.2017 से अवगत करवाया है कि ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर में अवाप्ताधीन भूमि के समस्त खसरे नगरपालिका मेड़तासिटी के क्षैत्राधिकार में अवस्थित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण करते समय अनुसूची प्रथम के अनुसार ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर क्षेत्र में होने के कारण बाजार मूल्य कारक एक से गुणित किया जावेगा इस दशा में जो निर्धारण उपरोक्तानुसार किया गया है उसी अनुसार मुआवजा देय है। उपरोक्त के अलावा शत प्रतिशत तोषण (Solatium) देय होगा।

मुआवजे की गणना निम्नानुसार है :—

<u>ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर</u>

क्र. सं.	वाद संख्या	खातेदार का नाम	गत ख. नं.	गत रकबा बीघा में	वर्तमान खसरा नं.	वर्तमान रकबा है. में	नगद मुआवजा/25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7(85)/3/1	रामनिवास, गणपतराम, श्यामलाल पिता रामपाल कौम गेघवाल हि. 1/2, विजेन्द्र कुमार पुत्र मिश्रीलाल हि. 1/8, भगवती प्रसाद कृष्ण	38	104—02 बीघा	47 48 49 50 51 52	2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15	6,750 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	1,40,53,500
							तकमीना	—
							योग अ	1,40,53,500
							100प्रतिशत अनिवार्य	1,40,53,500

		कुमार पिता मिश्री लाल हि. 1/8 कौम रेगर सा. मेड़ता शहर, जगदेव, भोजराज, अशोक, लालाराम पिता खियाराम, छोटूडी स्व. धर्मपत्नि खियाराम, अशोक, लालाराम ना.बा. बली माता छोटूडी, सुण्डाराम पुत्र भागुराम कौम मेघवाल हि. 1/4 सा. देह खातेदार।			53 54	1.62 2.34	अवाप्ति ब योग अ+ब	 2,81,07,000

प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत आवासीय अभियन्ता से पत्रांक 109 दिनांक 10.05.2016 से सर्वे तथा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर्स का तकमीना राशि का विवरण प्राप्त हुआ, प्राप्त तकमीने के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवासन मण्डल द्वारा जो तकमीना प्रेषित किया गया है वह अस्पष्ट है। तकमीने में स्टक्चर्स के स्वामी का नाम अंकित नही किया गया है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मालीकाना का निर्धारण नही किया गया है। इसके स्थान पर अधिसूचना में दर्ज खसरा अंकित कर दिया गया है। इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किस खातेदारों को निर्मित भवन का मुआवजा देय होगा और किस को नही। अतः प्राप्त तकमीने के आधार पर निर्मित भवनों/स्ट्रक्चर्स की मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने स्तर पर निर्मित भवनों/स्ट्रक्चर्स के स्वामित्व का निर्धारण किया जायेगा तथा पात्रता निर्धारित की जायेगी। अतः सबन्धित वर्ष की राजस्थान आवासन मण्डल की प्रचलित बीएसआर के अनुसार होने पर सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही नियमानुसार पात्र खातेदारों को मुआवजा देय होगा।

<u>ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर में प्राप्त तकमीना राशि का विवरण :—</u>

क्र. सं.	गत ख. नं.	गत रकबा बीघा में	वर्तमान खसरा नं.	वर्तमान रकबा है. में	तकमीना राशि (मण्डल अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	38	104—02 बीघा	47	2.15	45,000
			48	2.15	25,000
			49	2.15	10,000
			50	2.15	25,000
			51	2.15	1,02,744
			52	2.15	65,017
			53	1.62	1,13,146
			54	2.34	51,701

ग्राम डांगावास, मेड़तासिटी जिला नागौर में कुल रकबा 104—02 बीघा (16.86 हैक्टेयर) भूमि अवाप्ताधीन है। अतः सम्पूर्ण भूमि का अवार्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत् प्रेषित किया जा रहा है।

309

खातेदारों को उपयुक्त मुआवज़ा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू–अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तक तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा जो कि **मुआवजा भुगतान में देरी ना हो उपरोक्तानुसार गणना** मण्डल स्तर पर की जा सकेगी।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है के अनुसार तय की जाती है जिसकी गणना पृथक से आवासन मण्डल द्वारा की जावेगी। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 2500, 1500, 1000 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ ले जाना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। इस के अतिरिक्त भी किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा साथ ही अब्दुल रहमान बनाम् सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पारित निर्णय की पालना में नदी/नाला/पहाड़, इत्यादि में राजस्थान आवासन मण्डल कोई निर्माण कार्य नही कर सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 17.7.2012 को तैयार कर संयुक्त शासन सचिव, प्रथम नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

(अनिल कुमार कौशिक)
भू-अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(85)नविवि/3/2005 जयपुर दिनांक 27.07.2017 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णयानुसार स्वीकृति स्वामित्व के परीक्षण व अवाप्ति अधिनियमों में दिये गये प्रावधानों की पालना की शर्त पर नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक .... को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

(अनिल कुमार कौशिक)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-ओ.एस.डी./न.वि.वि/17/ 556 दिनांकः- 28-7-2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार - मेड़तासिटी।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

(अनिल कुमार कौशिक)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर